तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नजरसानी निगरानी/टी.ए./2842/2006/करौली महेश बनाम जमनालाल	नम्बर व तारीख

न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

एकलपीठ

श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

उपस्थित –

श्री योगेन्द्र सिंह शक्तावत, अधिवक्ता प्रार्थी

–आदेश–

दिनांक 21–08–2025

प्रार्थी ने यह नजरसानी प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 229 के अन्तर्गत मण्डल हाजा की एकलपीठ द्वारा निगरानी याचिका संख्या 164/1998 बउनवानी जमनालाल बनाम महेश में पारित आदेश दिनांक 15–06–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य प्रकट होता है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि से संबंधित मूल वाद का निस्तारण अंतिम रूप से दिनांक 14–02–2005 को किया जा चुका है। जबकि हस्तगत् नजरसानी प्रार्थना पत्र निगरानी याचिका जोकि आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी, के विरूद्ध पेश किया गया है। प्रकरण में चूंकि मूल वाद का निस्तारण अंतिम रूप से हो चुका है। उपरोक्त तथ्य के प्रकटीकरण की रोशनी में हस्तगत नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वतः सारहीन/निष्प्रभावी होने से खारिज किए जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र 2842/2006 बउनवानी महेश बनाम जमनालाल सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जाकर पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार दडिया)

सदस्य